



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी-जोन कमिश्नरेट वाराणसी

### प्रेस-नोट

दिनांक: 08.08.2022

### वांछित अभियुक्त अरूण पाठक पुत्र बब्बन पाठक निवासी जैन धर्मशाला थाना भेलूपुर वाराणसी को थाना भेलूपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन काशी के निर्देशन व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर कुशल पर्यवेक्षण में विश्व हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरूण पाठक पुत्र बब्बन पाठक निवासी जैन धर्मशाला थाना भेलूपुर वाराणसी को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। विश्व हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरूण पाठक पुत्र बब्बन पाठक निवासी जैन धर्मशाला थाना भेलूपुर वाराणसी द्वारा अपने आवाहन पर श्री सौरभ मार्या (पूर्वाचल प्रमुख, विश्व हिन्दू सेना) मो00 6393407685 निवासी डी-64/29 बैंक कालोनी सिगरा महमूरगंज रोड वाराणसी व श्री नवीन सिन्हा (महानगर प्रमुख, विश्व हिन्दू सेना) निवासी डी-64/29 बैंक कालोनी सिगरा महमूरगंज रोड वाराणसी आदि के नेतृत्व में श्रावण मास के अन्तिम सोमवार दिनांक 08.08.2022 को हजारों की संख्या में विश्व हिन्दू सेना के सैनिकों द्वारा अस्सी घाट थाना क्षेत्र भेलूपुर से जल भरकर दर्शन पूजन हेतु प्रतिबन्धित श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन किये जाने विषयक सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किये जाने सम्बन्धी पम्पलेट प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था। ध्यातव्य हो कि वर्तमान में ज्ञानवापी प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है। संयोजक द्वारा प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा कार्यक्रम गैर परम्परागत (परम्परा के विरुद्ध) है। परिसर अवस्थित माँ श्रृंगार गौरी पर परम्परा से हटकर किसी भी प्रकार से दर्शन-पूजन एवं जलाभिषेक किया जाना पूर्णतया: प्रतिबन्धित है।

विश्व हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरूण पाठक के इस अहवाहन को लेकर आम जनमानस व विशेष समुदाय के लोगों में काफी रोष व्याप्त था कमिश्नरेट पुलिस पूर्व ही सतर्क दृष्टि रखी हुई थी कि आज दिनांक 08.08.2022 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अरूण पाठक को साम्प्रदायिक सद्भाव एवं कानून / शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत मु०अ०सं० 0237/2022 धारा 153ए/295ए/505(2) भादवि में गिरफ्तार किया गया। अरूण पाठक थाना भेलूपुर के कुल 04 मुकदमे, थाना चौक 02, थाना सिगरा 01, थाना सारनाथ 01, थाना लंका के 01 मुकदमें में वांछित चल रहा था।

उनके समर्थक 06 नफर अभि०गण 1.सम्पत कुमार आचार्य पुत्र भगवताचार्य निवासी वैष्णव मठ सामने घाट थाना लंका कमि० वाराणसी उम्र 44 वर्ष 2.हिमांशु राज मिश्र पुत्र राजेश कुमार मिश्रा नि० घनाव बनियापुर थाना छपरा बिहार उम्र 22 वर्ष 3. सौरभ मौर्या पुत्र उदय नारायण मौर्या नि० डी 64/29 बैंक कालोनी महमूरगंज थाना सिगरा कमि०वाराणसी उम्र 32 वर्ष 4. मृत्युंजय तिवारी पुत्र स्व० उमाशंकर तिवारी नि० मदरवा मारुती नगर सामने घाट थाना लंका कमि० वाराणसी उम्र 30 वर्ष 5. नवीन सिन्हा पुत्र स्व० सन्तोष सिन्हा नि० डी 64/26 ए7 बैंक कालोनी थाना सिगरा कमि० वाराणसी उम्र 44 वर्ष 6.अन्तू दुबे पुत्र सच्चितानन्द दुबे नि० वैष्णव मठ सामने घाट थाना लंका कमि० वाराणसी उम्र 30 वर्ष जो अमादा फौजदारी थे शान्ति/कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाये रखने के दृष्टिगत अस्सी घाट से अन्तर्गत धारा 151, 107, 116 द०प्र०सं० में गिरफ्तार किया। अरूण पाठक को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे मा० न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है।

## अरूण पाठक का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 0011/2003 धारा 147, 323, 392, 435, 504, 506, 427 भादवि थाना भेलूपुर
2. मु0अ0सं0- 0144/2007 धारा 143, 309, 353, 427, भादवि व 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना भेलूपुर
3. मु0अ0सं0- 211/2010 धारा 110 जी द0प्र0सं0 थाना भेलूपुर
4. मु0अ0सं0- 0335/2020 धारा 153ए, 295ए, 120बी, 550(3) भादवि व 7सी0एल0एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना भेलूपुर
5. मु0अ0सं0- 0331/2021 धारा 505 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना भेलूपुर
6. मु0अ0सं0- 0402/2021 धारा 153ए, 505(1सी) , 295ए भादवि व 67 आईटी एक्ट
7. मु0अ0सं0- 0237/2022 धारा 153ए, 295ए, 505(2) भादवि थाना भेलूपुर
8. मु0अ0सं0- 071/2021 धारा 147, 188, 342, 420 भादवि थाना चौक
9. मु0अ0सं0- 072/2021 धारा 147, 188, 269, 270, 283 भादवि व 3, 4 महामारी अधिनियम थाना चौक
10. मु0अ0सं0- 0302/2021 धारा 505 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना सिगरा
11. मु0अ0सं0- 0761/2019 धारा 504, 505(2) भादवि थाना सारनाथ
12. मु0अ0सं0- 0543/2021 धारा 187, 267, 268, 505 भादवि व 67 आईटी व 7 सी0एल0ए0 थाना लंका

## गिरफ्तारी टीम

1. प्र0नि0 रमाकान्त दुबे
2. नि0 जगदीश यादव,
3. उ0नि0 पवन कुमार,
4. उ0नि0 श्री अजय दूबे
5. उ0नि0 वरुण कुमार शाही
6. उ0नि0 आशीष कुमार,
7. उ0नि0 विनय कुमार प्रजापति
8. हे0का0 लोकनाथ सिंह,
9. का0 श्यामसुन्दर यादव
10. का0 पंकज दुबे,
11. का0 मृत्युंजय प्रसाद,
12. का0 सूरज यादव,
13. हे0का0 चन्द्रजीत सिंह
14. का0 उमाशंकर सिंह का0
15. हरिशंकर यादव,
16. का0 अजय कुमार सिंह,
17. आ0 चालक अनिल कुमार सिंह
18. का0 रविकान्त राजपूत,

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त कार्यालय  
काशी-जोन कमिश्नरेट वाराणसी